14/02/2023 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट अनुपस्थित। बार-बार आवाज लगाई गई लेकिन अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित नहीं हुये। अतः पत्रावली अग्रिम पैरवी में खारिज की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न कर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)